पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं– 10/2024

रेलवे बोर्ड के RBE No. 101/2009 दि.10.06.2009 एवं RBE No.155/2016 दिनांक 19.12.2016 के अनुपालन में एमएसीपी योजना के तहत सुयोग्यता जॉच में सफल एवं DAR/SPE/Vig. मामलों से मुक्त होने के उपरान्त चिकित्सा विभाग/पूमरे/हाजीपुर के निम्नलिखित कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी अनुमोदन से वित्तीय उन्नयन का लाभ उनके नाम के सामने दर्शाये गये तिथि से प्रदान किया जाता है :–

क0 सं0	कर्मचारी का नाम, (सर्वश्री)	पदनाम	कार्यस्थल	प्रदत वित्तीय उन्नयन लाभ से पूर्व ग्रेड पे0/(लेवल)	वित्तीय उन्नयन की प्रभावी तिथि एवं ग्रेड पे/लेवल
1	Amarendra Kumar Singh	Ch. OS	PCMD Office/HQ HJP	GP-4600 (Level-7)	01.11.2023 & GP-4800 (Level-8) 3rd MACP
2	Jawed Akhtar	Ch. Radiographer	CSSH/Patna	GP-4600 (Level-7)	01.11.2023 & GP-4800 (Level-8) 3rd MACP
3	Rashmi Rupam	Ch. Radiographer	CSSH/Patna	GP-4200 (Level-6)	01.11.2023 & GP-4600 (Level-7) 2nd MACP
4	Pankaj Kumar Singh	Office Supdt.	CSSH/Patna	GP-4200 (Level-6)	01.11.2023 & GP-4600 (Level-7) 3rd MACP
5	Mridula Kumari	Ch. Nursing Supdt.	CSSH/Patna	GP-5400 (Level-10)	08.02.2023 & GP-5400 (Level-10) 3rd MACP

उपरोक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप कर्मचारी को वरीयता आदि का कोई अतिरिक्त लाभ देय नहीं होगा तथा अपनी अगली पदोन्नति वे मूल वरीयता के अनुसार पायेंगे, कर्मचारी का पदनाम भी यथावत रहेगा। यदि कर्मचारी चाहें तो RBE No.79/2017 दिनांक: 31.07.2017 के अनुसार नियम 1313–आर II के तहत वित्तीय उन्नयन पर वेतन निर्धारण हेतु एक(01) माह के अंदर विकल्प दे सकते हैं। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त विकल्प पर विचार नहीं किया जायेगा एवं एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

09.01.24

(रमेश कुमार)
सकाधि(समन्वय)
कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)

संख्या:–ECR-HQOPERS(MISC)/1/2023 (Computer No. 208442)

दिनांक 09.01.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/पूमरे/हाजीपुर।
2. चिकित्सा निदेशक/सीएसएसएच/पूमरे/पटना।
3. सकाधि(विल)/पूमरे/हाजीपुर।
4. राकाधि(एमपीपी)/पूमरे/हाजीपुर।
5. संबंधित कर्मचारी।

09.01.24

कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)

Scanned with CamScanner